दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

वज्रगृह कोषांग

****

ई.वी.एम. प्रेषण एवं संग्रहण आदेश

प्रेषण कार्य

लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत 15–मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान 06.05.2019 को एवं 16–वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान 12.05.2019 को होना है। 15–मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गश्ती–सह–ई.वी.एम. संग्रहण दल (PCCP) को ई.वी.एम. का प्रेषण 05.05.2019 को पूर्वाहन 08:00 बजे से एवं 16–वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ई.वी.एम. का प्रेषण दिनांक 11.05.2019 को पूर्वाहन 08:00 बजे से बाजार समिति, अहियापुर, मुजफ्फरपुर से किया जाएगा। इस कार्य हेतु :–

1 प्रत्येक विधानसभा वार एक–एक वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है एवं उनके साथ एक–एक वज्रगृह सहायक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जिनके देख–रेख में वज्रगृह से ई.वी0एम0 को निकाल कर गश्ती–सह–ई.वी.एम. संग्रहण दल (PCCP) को प्राप्त कराया जाएगा।

2 प्रत्येक विधानसभा वार चार टेबुल होगा । प्रत्येक टेबुल पर दो कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक टेबुल पर पार्टी संख्या के आधार पर ई.वी.एम. एवं अन्य सामग्री का वितरण करते हुए पंजी का संधारण किया जायेगा।

3 प्रत्येक विधानसभा वार एक–एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी जिनका कार्य होगा कि गश्ती–सह–ई.वी.एम. संग्रहण दल (PCCP) को ई.वी.एम. का वितरण अपने पर्यवेक्षण में करायेंगे।

(अनुपालन –कर्मियों की प्रतिनियुक्ति वज्रगृह कोषांग द्वारा)

संग्रहण कार्य

लोकसभा निर्वाचन 2019 में 15–मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 06.05.2019 (सोमवार) एवं 16–वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 12.05.2019 (रविवार) को मतदान दिवस निर्धारित है। मतदान कार्य की समाप्ति के पश्चात् गश्ती–सह–ई.वी.एम. संग्रहण दल (PCCP) द्वारा पोल्ड/सील्ड ई.वी.एम. (बी.यू. एवं सी.यू.) एवं अन्य आवश्यक कागजात के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर में निर्धारित विधानसभा क्षेत्रवार वज्रगृह में जमा कराया जाना है ।

वज्रगृह परिसर की संपूर्ण व्यवस्था के वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर रहेंगे, जिनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी वज्रगृह परिसर के अन्दर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की ससमय समीक्षा कर ई.वी.एम. संग्रहण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। 15–मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 16–वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वज्रगृह के वरीय प्रभार में डा0 मदन कुमार चौधरी, कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर रहेंगे। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी 15–मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 06.05.2019 एवं 16–वैशाली

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 12.05.2019 को अपराह्न 03:00 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर स्थित वज्रगृह कोषांग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

नोडल पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग सह जिला नजारत उपसमाहर्ता, मुजफ्फरपुर के द्वारा ई0वी0एम0 संग्रहण के अवसर पर कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर में सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक गण के लिए सुसज्जित कक्ष, जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी एवं सभी निर्वाची पदाधिकारी के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगें। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला नजारत शाखा से समन्वय स्थापित कर नियंत्रण कक्ष में आवश्यक उपस्कर एवं दूरभाष की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करते हुए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार प्रभारी पदाधिकारी के नाम, मोबाईल संख्या इत्यादि की सूचना विहित प्रपत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना, बिहार को समय से भेजना सुनिश्चित करेंगें।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में उक्त वज्रगृहों पर दो श्रेणी के काउन्टर स्थापित किये जाएंगें :–

(क) सामान्य संग्रहण केन्द्र (ख) विशेष संग्रहण केन्द्र

(क) **सामान्य संग्रहण केन्द्र :–** प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सामान्य संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जाना है । पोल्ड ई0वी0एम0 (बी.यू., सी.यू. एवं भी0भी0 पीएटी) एवं अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त करने हेतु प्रत्येक विधान सभावार – 08 काउन्टर बनाये जाने हैं । प्रत्येक काउन्टर पर – 04 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। उक्त काउन्टर पर निम्नांकित सामग्री/प्रपत्र प्राप्त किये जायेंगे :–

1. सील्ड BU एवं CU
2. V.V.P.A.T.
3. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी खुले लिफाफे में ।
4. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा की गयी घोषणा खुले लिफाफे में ।
5. मतों का लेखा (प्रपत्र–17C) 2 प्रति खुले लिफाफे में ।
6. Visit Sheet ।
7. Mock Poll Certificate ।
8. नन–स्टैच्यूटरी शील्डपैकेट ।
9. स्टैच्यूटरी शील्ड पैकेट ।
10. PSO5 (VTR) ।
11. 16 बिन्दुवाला पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन खुले लिफाफे में ।
12. पेपर सील एकाउंट।

काउण्टर के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी सामग्री/प्रपत्र की जाँचोपरान्त प्राप्ति की जाएगी एवं तत्पश्चात गश्ती दल दण्डाधिकारी–सह–ई0वी0एम0 संग्रहण दल (PCCP) को प्राप्ति रसीद दी जायेगी । सील्ड बी.यू. एवं सी.यू., मतों के लेखा की एक प्रति का लिफाफा एवं पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा की गयी घोषणा का लिफाफा वज्रगृह में बने संबंधित मतदान केन्द्र के स्क्वायर पर रखा जायेगा। **पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का लिफाफा, मतों का लेखा (प्रपत्र 17C) की द्वितीय प्रति का लिफाफा, PSO5(VTR), Visit Sheet, Mock-Poll Certificate** इत्यादि RO Table पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ इसे अलग–अलग संचिका में संधारित किया जाएगा । सभी विधान सभा क्षेत्र में BU/CU के साथ V.V.P.A.T. का भी संग्रहण किया जाएगा। इसे BU/ CU के साथ बने खाने (स्क्वायर) में यथास्थान रखा जायेगा।

स्टैच्यूटरी पैकेट एवं नन स्टैच्यूटरी पैकेट को स्टील ट्रंक में रखकर निर्धारित अतिरिक्त वज्रगृह में रखा जायेगा ।

उपरोक्त सामग्री/ प्रपत्र प्राप्त करने हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रखण्ड के अन्तर्गत पी.सी.सी.पी. को टेबुल के सामने गश्ती दल दण्डाधिकारी–सह–ई0वी0एम0 संग्रहण दल (PCCP) का क्रमांक लिखा रहेगा, ताकि किसी को कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो । प्रत्येक वज्रगृह के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा गश्ती दल दण्डाधिकारी–सह–ई0वी0एम0 संग्रहण दल (PCCP) के साथ संबद्ध मतदान केन्द्रवार पंजी पूर्व से ही तैयार कर रख ली जाएगी ।

उक्त टेबुल पर विशेष मतदान केन्द्र (Special Polling Station) का कागजात प्राप्त नहीं किया जायेगा ।

(ख) **विशेष संग्रहण केन्द्र** :– मतदान दिवस 15–मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 06.05.2019 एवं 16–वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 12.05.2019 को मतदान के दौरान जिन मतदान केन्द्र/केन्द्रों के संबंध में प्रेक्षक/निर्वाची पदाधिकारी /सहायक निर्वाची पदाधिकारी /जिला नियंत्रण कक्ष में किसी प्रकार की गम्भीर शिकायत दर्ज करायी गयी हो या कोई अप्रिय घटना यथा ई0वी0एम0 के खराबी की शिकायत या ई0वी0एम0 के बदले जाने की सूचना प्राप्त हुई हो तो इन मतदान केन्द्रों से संबंधित ई0वी0एम0 तथा प्रपत्रों को विशेष संग्रहण केन्द्र पर गश्ती दल दण्डाधिकारी–सह–ई0वी0एम0 संग्रहण दल (PCCP) द्वारा जमा किया जाएगा। विशेष मतदान केन्द्रों की सूची संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार की जायेगी तथा उसे निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी को तत्क्षण उपलब्ध कराया जाएगा । निर्वाची पदाधिकारी का संकलित प्रतिवेदन प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना, बिहार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा ।

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	विशेष मतदान केन्द्रों की संख्या एवं नाम	मतदान दूषित होने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

विशेष संग्रहण केन्द्रों पर जिन मतदान केन्द्रों की ई0वी0एम0 एवं प्रपत्र संग्रहित की जाएगी उनका नाम संग्रहण केन्द्र पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहेगा साथ ही विशेष संग्रहण टेबुल पर ही माइक्रो ऑवज़बर/सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्रतिवेदन का भी संग्रह किया जाएगा।

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रखण्ड के लिए एक–एक विशेष संगहण केन्द्र बनाया गया है, जिस पर – 03 (तीन) कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(1) **ARO Table** - संग्रहण केन्द्र के पास ही प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार ARO Table स्थापित किया जायेगा। प्रत्येक टेबुल पर संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु 1 (एक) पदाधिकारी एवं 1 (एक) कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ARO Table पर आवश्यकतानुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सहायक निर्वाची पदाधिकारी स्वंय अपने स्तर से करेंगे।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (डी.आई.ओ.), मुजफ्फरपुर द्वारा RO Table पर Broad Band Internet सुविधा के साथ ऑपरेटर सहित कम्प्यूटर स्थापित किया जाएगा, जहाँ से VTR (Voter Turn Out Report) प्रतिवेदन On-Line भेजा जाएगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से संपर्क कर सभी RO Table पर स्थापित होने वाले कम्प्यूटर के लिए Broad Band Connection की व्यवस्था ससमय जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (डी.आई.ओ.), मुजफ्फरपुर द्वारा कर ली जाएगी ।

(अनुपालन – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुज0)

(2) **माइक्रो प्रेक्षक, सेक्टर / जोनल दंडाधिकारी का प्रतिवेदन संग्रहण केन्द्र** :– सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन में प्रतिनियुक्त माइक्रो प्रेक्षक, सेक्टर / जोनल दंडाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु विशेष संग्रहण केन्द्र स्थापित किया गया है जिस पर 3 (तीन) कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। माइक्रो प्रेक्षक, सेक्टर / जोनल दंडाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तत्पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इसे प्रेक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुपालन–सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)

(3) **कम्प्यूटराइजेशन एवं विडियोग्राफी** :– मतदान समाप्ति के उपरान्त सभी डिजीटल कैमरा एवं विडियोंग्राफी से संबंधित कर्मी जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) मुजफ्फरपुर में निर्धारित स्थल पर विडियो कैमरा से डाटा केवल के माध्यम से कम्प्यूटर में डाउनलोड (डाटा ट्रांसफर) कराया जाएगा एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन जमा

करेंगे। इसके लिए कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटल कैमरा कोषांग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा कैमरा से प्राप्त मेमोरी कार्ड से इमेज डाउनलोड करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। सी0सी0टी0वी0 कैमरा से प्राप्त मेमोरी कार्ड से फोटो (फुटेज) डाउन लोड कर उसकी सी0डी0 तैयार की जायेगी । सी0सी0टी0वी0 कैमरा से संग्रहित फोटो (फुटेज) से संबंधित सी0डी0 एवं विडियोग्राफरों से प्राप्त सी0डी0 प्रेक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। सी0सी0टी0वी0 कैमरा को सुरक्षित स्टील के ट्रंक में रखने की व्यवस्था नोडल पदाधिकारी, कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटल कैमरा कोषांग द्वारा की जाएगी। **(अनुपालन– कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटल कैमरा कोषांग एवं एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर)**

(4) <u>अनसील्ड एवं सुरक्षित ई0वी0एम0 का भण्डारण</u> :– अनसील्ड बी0यू0 एवं सी0यू0 तथा सुरक्षित ई0वी0एम0 को संबंधित सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने देख–रेख में सुरक्षित जगह पर रखवाना सुनिश्चित करेंगें।**(अनुपालन–नोडल पदा0 ई0वी0एम0 कोषांग, मुजफ्फरपुर/सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)**

(5) <u>पास की व्यवस्था</u> :– सील्ड ई.वी.एम. संग्रहण एवं वितरण हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं मजदूरों को पहचान पत्र की व्यवस्था कार्मिक कोषांग द्वारा की जाएगी। **(अनुपालन–कार्मिक कोषांग, मुजफ्फरपुर एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)**

(6) <u>उपस्कर की व्यवस्था</u> :– प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रखण्ड के वज्रगृह के लिए कुर्सी/टेबुल, विघुत व्यवस्था तथा वज्रगृह के सामने दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों एवं सुरक्षा बलों के बैठने हेतु पंडाल, कुर्सी, टेबुल इत्यादि की व्यवस्था तथा सभी अभियर्थी एवं उनके अभिकर्ता को वज्रगृह के निगरानी हेतु एक पंडाल की व्यवस्था साथ ही सभी गश्ती दल दंडाधिकारी–सह–ई0वी0एम0 संग्रहण दल (पी0सी0सी0पी0) एवं मतदान कर्मियों हेतु विधानसभा वार उनके बैठने हेतु बड़ा पंडाल, कुर्सी, टेबुल एवं पानी इत्यादी की व्यवस्था अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर श्री कुंदन कुमार की सहायता से उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगा ।

(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)

(7) <u>विडियोग्राफी</u> :– प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रखण्ड हेतु एक–एक विडियोग्राफर की व्यवस्था विडियो कैमरा सहित उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा की जायेगी । प्रत्येक गतिविधि एवं प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी ।

स्ट्रांग रूमों के प्रवेश प्वाइंट (दरवाजा आदि) का उपलब्ध सी.सी.टी.वी. कैमरा और लैप–टापों के इस्तेमाल से सतत विडियोंग्राफी की जाएगी। यदि स्ट्रांग रूम में अन्य दरवाजे हो तो उन्हें भी सी.सी.टी.वी. कैमरा /विडियोग्राफी द्वारा कवर किया जाएगा।

(अनुपालन– कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटल कैमरा कोषांग एवं एन. आई. सी., मुजफ्फरपुर /उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)

(8) <u>वज्रगृह की सुरक्षा एवं सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति</u> :– वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस बल का दायित्व होगा कि वे ई0वी0एम0 के साथ आने वाले दलों को उनके लिए निर्धारित काउन्टर तक जाने में सहयोग करेंगे तथा उन्हें पंक्तिबद्ध रखेंगे ।

क वज्रगृह में दोहरी लॉक प्रणाली होगी। एक चाबी सहायक निर्वाची अधिकारी के पास होगी एवं दूसरी संबंधित विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के वज्रगृह प्रभारी अधिकारी के पास रहेगा।

ख वज्रगृह में जहां ई.वी.एम. रखी जायेगी वहां पर दोहरे घेरे की सुरक्षात्मक व्यवस्थायें होगी। वज्रगृह से ठीक बाहर की सबसे भीतरी परिधि के सुरक्षा हेतु अर्द्धसैनिक बल की तैनाती की जायेगी और बाहरी परिधीय सुरक्षा के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती होगी।

ग़ अप्रयुक्त ईवीएम की सुरक्षा के लिए भी चौबीसों घंटे सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

ध किसी को भी प्रोटोकॉल का पालन किए बिना भीतरी परिधि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बल (सीपीएफ) द्वारा लॉक बुक मेनटेन की जाएगी, जिसमें ऐसे किसी व्यक्ति की तारीख, समय, कालावधि और नाम के बारे में प्रविष्टि की जाएगी जो दूसरे सिक्यूरिटी रिंग यानि मध्यवर्ती पेरिमीटर को पार करें। इसमें प्रेक्षकों या जिला निर्वाचन अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के विजिट शामिल है।

ड. निर्वाचन लडने वाले सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा कि वे स्ट्रांग रूम की सुरक्षापरक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करें। उन्हें भीतरी परिधि के बाहर एक ऐसे लोकेशन पर रूकने की अनुमति होगी जिससे वे स्ट्रांग रूम के प्रवेश प्वाइंटों को देखने में सक्षम हों सकें। जहां तक संभव हो सके, उन्हें उपयुक्त शेड, पेय जल आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे लोकेशन पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे स्ट्रांग रूम दरवाजे को सीसीटीवी पर देख सकें।

(अनुपालन–सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुज0)

च. कोई भी वाहन जिसमें किसी अधिकारी या मंत्रियों या कोई अन्य राजनीतिक दल के पदाधिकारी का वाहन शामिल हो, को उस सुरक्षित परिसर के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जायेगी जहां ई.वी.एम. स्टोर की गई है। वाहनों से उतरने का प्वाइंट बाह्य सुरक्षा परिधि से बाहर ही सुस्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, इससे अलावा पैदल चलने का क्षेत्र चिन्हित होगा।

छ आवश्यकतानुसार सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा स्टोरेज कैम्पस (केवल भीतरी परिधि तक) विजिट करना है और लॉग बुक एवं विडियोग्राफी की जांच उनके द्वारा की जा सकेगी और वस्तु–स्थिति से निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

ज सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी और प्रभारी पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी वज्रगृह पदाधिकारी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(अनुपालन–प्रभारी पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर /सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर / सभी प्रभारी वज्रगृह पदाधिकारी/विधि व्यवस्था कोषांग/उप निर्वाचन पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, नगर / यातायात प्रभारी, मुजफ्फरपुर)

<u>(9) मजदूरों की प्रतिनियुक्ति</u> :– उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्धारित वज्रगृह में प्रत्येक टेबुल पर 2 मजदूरों की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जो प्राप्त ई.वी.एम. को कड़ी सुरक्षा में वज्रगृह में ले जायेंगे । सभी मजदूरों के लिए कार्मिक कोषांग द्वारा पहचान पत्र निर्गत कराया जाएगा। सभी वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारी काउन्टर से वज्रगृह तक ई0वी0एम0 रखवाने में कड़ी निगरानी रखेंगे ।

(अनुपालन–कार्मिक कोषांग/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारी)

(10) <u>सामान्य संग्रहण केन्द्र और विषेष संग्रहण केन्द्र की व्यवस्था</u> :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्धारित टेबुलों तक ई0वी0एम0 के जाने हेतु बॉस–बल्ला का घेरा बनायेंगे । उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर आवश्यकतानुसार सभी काउन्टरों के लिए टेबुल एवं कुर्सी, लेखन सामग्री तथा स्टील ट्रंक की व्यवस्था करेंगे । उन्हें यह निदेश दिया जाता है कि पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सहित आवश्यकतानुसार पंखे की व्यवस्था

सुनिश्चित करेंगे । माननीय प्रेक्षक निर्वाची, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता की उपस्थिति में वज्रगृह सिलिंग का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात वज्रगृह परिसर के पुलिस सुरक्षा प्रभारी को लॉग बुक (Log Book) संधारण पंजी हस्तगत करा दिया जाएगा।

(अनुपालन–सभी वज्रगृह प्रभारी, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)

(11) प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए खान–पान की व्यवस्था :– नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कल्याण कोषांग, मुजफ्फरपुर सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चाय, बिस्कुट एवं भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । गश्ती दल दण्डाधिकारी सह ई0वी0एम0 संग्रहण दल (PCCP), पीठासीन पदाधिकारी को प्राप्ति केन्द्र पर पेयजल आदि उपलब्ध करायेगे। **(अनुपालन–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कल्याण कोषांग, मुज./ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)**

(12) सशुल्क खान–पान व्यवस्था :– नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कल्याण कोषांग द्वारा ई0वी0एम0 संग्रहण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मियों के लिए अलग से सशुल्क अल्पाहार के लिए संग्रहण स्थल से दूर कुछ निजी विक्रेताओं को रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कल्याण कोषांग/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)

(13) पेयजल व्यवस्था :– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर परिसर में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। परिसर का भ्रमण करते हुए परिसर में पूर्व से अवस्थित सभी चापाकल कार्यरत स्थिति में हैं, इसे सुनिश्चित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त चापाकल एवं टैंकर की व्यवस्था करते हुए निरंतर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लो.स्वा.अभि.प्र., मुज. एवं नगर आयुक्त, नगर निगम,मुज0)

(14) विद्युत व्यवस्था :– प्रभारी पदाधिकारी नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर में दिनांक 05.05.19 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल तकनीकी कर्मियों एवं विद्युत अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति करते हुए उनकी सूची मोबाईल नंबर के साथ संग्रहण स्थल के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर परिसर में अधिष्ठापित विद्युत तार की जांच करते हुए उनकी सुरक्षा के संबंध में प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करेंगे।

उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा आवश्यकता का आकलन करते हुए जेनरेटर एवं ईंधन की व्यवस्था ससमय कर लेंगे ताकि किसी भी परिस्थिति में कार्य बाधित न हो ।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां ईवीएम रखी गई उन लोकेशनों पर संपूर्ण समयावधि के दौरान अबाधित विघुत आपूर्ति हो । विघुत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड बाई जेनरेटरों की आपातकालीन व्यवस्था की जायेगी।

(अनुपालन– उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर / प्रभारी पदाधिकारी नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, मुजफ्फरपुर)

(15) यातायात व्यवस्था :– कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर परिसर के अन्दर एवं बाहर वाहनों के पार्किंग, यातायात व्यवस्था, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर एवं पुलिस उपाधीक्षक, नगर संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर ड्रॉप गेट, स्थल निर्धारित करते हुए प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करेंगे । ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था यातायात प्रभारी, मुजफ्फरपुर करना सुनिश्चित करेंगे । वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा परिसर के अन्दर और बाहर सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी ।

(अनुपालन–वरीय पुलिस अधीक्षक, मुज0 / अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुज0 / पुलिस उपाधीक्षक, नगर / यातायात प्रभारी, मुजफ्फरपुर)

(16) वज्रगृह सिलिंग :– पोल्ड ई0वी0एम0 संग्रहण कार्य सम्पन्न होने के उपरांत वज्रगृह में रखे जाने के बाद वज्रगृह सिलिंग एवं अन्य कार्यो की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के लिए वीडियोग्राफर की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर करेंगे ।

उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर वज्रगृह सील करने हेतु पर्याप्त ताला, लाह, बक्शा, मोमबत्ती इत्यादि सभी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था अधियाचना के आलोक में करते हुए वज्रगृह कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा सिलिंग के समय पर्याप्त सुरक्षा कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा स्वयं भी वज्रगृह का भ्रमण करते हुए की गई व्यवस्था से आश्वस्त हो लेंगे ।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी प्रेक्षकों को आवश्यक औपचारिकताओं से संतुष्ट कराने के पश्चात् ही वज्रगृह सील किया जाना है।

मतगणना वाले दिन वज्रगृह का वीडियोग्राफी माननीय प्रेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थियों / उनके प्रतिनिधियों की उपस्थित कराते हुए वज्रगृह खोला जाएगा।

(अनुपालन–वरीय पुलिस अधीक्षक, मुज0 / उप निर्वाचन पदाधिकारी / सभी निर्वाची पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी, वज्रगृह कोषांग, मुजफ्फरपुर)

17 चिकित्सा व्यवस्था :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर परिसर में दिनांक 05.05.19 से चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल कर्मी की प्रतिनियुक्ति प्राथमिक उपचार से संबंधित दवा एवं एम्बुलेंस के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)

18 अग्निशमन दस्ता :– जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति अहियापुर परिसर में दिनांक 05.05.2019 से अग्निशमन दस्ता चालक सहित उपलब्ध करायेंगे एवं स्ट्रांग रूम के निकट और भीतर अग्निशामकों की पर्याप्त व्यवस्था करायेंगे।

(अनुपालन– जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुज0)

19 साफ–सफाई :– नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति अहियापुर परिसर की पूर्ण साफ सफाई दिनांक 25.04.2019 तक निश्चित रूप से करवा लेंगे तत्पश्चात् एक सफाई दल की प्रतिनियुक्ति चुनाव कार्य संपन्न होने तक करेंगे एवं सफाई दल का कार्य होगा की परिसर को साफ सुथरा रखें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त, नगर निगम मुजफ्फरपुर)

प्रशिक्षण की व्यवस्था :–उक्त कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 15–मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 02.05.2019 एवं 16–वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 08.05.2019 को कोषागार कार्यालय में पूर्वाहन 11:00 बजे से की गयी है। सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– नोडल पदाधिकारी, वज्रगृह कोषांग, मुजफ्फरपुर)

20/4/19
नोडल पदाधिकारी
वज्रगृह कोषांग–सह–
कोषागार पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
वज्रगृह कोषांग–सह–
अपर समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

20/4/19
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक 56/वज्र/दिनांक 22/4/19

प्रतिलिपि – निर्वाची पदाधिकारी 15–मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – प्रतिनियुक्त सभी गश्ती–सह–ई0भी0एम0 ई0वी0एम0 संग्रहण दल (PCCP)/पुलिस पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वरीय प्रभारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/नोडल पदाधिकारी, सभी कोषांग/वज्रगृह के सभी प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर/थानाध्यक्ष, अहियापुर/यातायात प्रभारी, मुजफ्फरपुर/परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुज0/कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी., मुजफ्फरपुर/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ प्रभारी पदाधिकारी नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीव्यूशन कॉरपोरेशन, मुजफ्फरपुर /सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला अग्निशामक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

20/4/19	20/4/2019	20/4/19
नोडल पदाधिकारी वज्रगृह कोषांग–सह– कोषागार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	वरीय प्रभारी पदाधिकारी वज्रगृह कोषांग–सह– अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर	जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

Scanned by CamScanner